इफको-टोकियो
जनरल इंश्योरेंस
मुस्कुराते रहो

'पशुधन नुकसान से ना हो परेशान,
इफको–टोकियो का यही अरमान'

पशुधन बीमा पॉलिसी (माइक्रो इंश्योरेंस)

UIN: IRDAN106P0014V01200809

पशुधन भारतीय कृषि का एक अभिन्न अंग है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे देश में एक सामान्य पशुधन मालिक एक छोटा किसान होता है जो एक या दो पशुधन का मालिक होता है। पशुधन पालन के माध्यम से अर्जित आमदनी मौसमी कृषि आमदनी का सम्पूरण करती है और इस तरह, पशुधन का मूल्य किसान की सम्पत्ति का अच्छा–खासा हिस्सा (प्रतिशत) होता है। उत्पादक पशुधन की मृत्यु उल्लेखनीय जोखिम उत्पन्न करता है जो किसान की शुद्ध मालियत और आमदनी को प्रभावित करता है। अपने पशुधन की हानि से किसानों की रक्षा करने के लिए इफको–टोकियो ने ''पशुधन बीमा योजना'' तैयार की है।

इस पॉलिसी के तहत कवरेज

यह पॉलिसी रोग, दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, सर्जिकल ऑपरेशन, हड़ताल और दंगे के कारण बीमाकृत पशुधन की मृत्यु को कवर करती है।

- पारंपरिक पहचान तंत्रों के अलावा, इफको–टोकियो बीमाकृत जानवर की पहचान स्थापित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान उपकरणों (आरएफआईडी) का भी इस्तेमाल करती है।
- बीमा कवर 2 से 8 साल के बीच की गायों और 3 से 8 साल के बीच की भैंसों के लिए उपलब्ध है।
- बीमा राशि आयु, नस्ल, स्वास्थ्य की स्थिति, स्थान और बाजार मूल्य, किसी अधिकृत पशु–चिकित्सक द्वारा यथा–प्रमाणित, के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- देय प्रीमियम विभिन्न मानकों जैसे नस्ल, आयु, भूगोल और पिछले दावों के इतिहास के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

महत्वपूर्ण अपवर्जन

- पॉलिसी की शुरुआत से 15 दिनों के भीतर हुए रोगों की वजह से उत्पन्न होने वाला कोई भी दावा।
- जानवर गुम होना, चोरी और छुपा कर की गई बिक्री या जानबूझकर किया गया वध।
- ईयर टैग या टूटे हुए ईयर टैग के बिना प्राप्त दावा।

दावा प्रक्रिया

1. जानवर की मृत्यु होने की दशा में, पॉलिसी धारक शीघ्र ही निकटतम इफको–टोकियो कार्यालय को सूचित करेंगे या टोल फ्री नंबर 1800–103–5499 पर जानकारी देंगे।

2. मृत जानवर के शरीर का निपटान करने से पहले, कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि और पशुचिकित्सक मृत्यु का अभिनिश्चयन करने के लिए मृत्यु स्थल पर जाते हैं।

3. अधिकृत पशुचिकित्सक मृत्यु के कारण का अभिनिश्चयन करेंगे और पॉलिसीधारक/दावेदार को मुहर और हस्ताक्षर के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करेंगे।

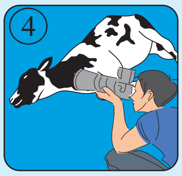

4. मृत जानवर की कम से कम दो फोटो ली जानी चाहिए। एक फोटो पहचान टैग संख्या/आरएफआईडी रीडिंग के साथ और दूसरा महत्वपूर्ण प्राकृतिक पहचान निशानों के साथ शव के सम्पूर्ण शरीर को दर्शाते हुए।

5. दावेदार इफको–टोकियो के अधिकृत प्रतिनिधि को आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे।

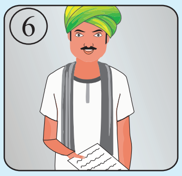

6. सभी दस्तावेज प्राप्त करने और उनका सत्यापन करने के बाद, इफको–टोकियो दावे की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगी।

दावा दायर करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

- ईयर टैग के साथ एक पूरी तरह से भरा हुआ दावा प्रपत्र।
- अधिकृत पशु–चिकित्सक द्वारा जारी पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से बताया गया हो।
- जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है, बीमाकृत जानवर की 4"x6" साइज की दो फोटो।
- बीमारी के कारण मृत्यु होने के मामले में (यदि पॉलिसी के तहत विशेष रूप से कवर किया गया हो), पशु–चिकित्सक द्वारा किए गए इलाज और टीकाकरण रिकार्ड के संबंध में सभी दस्तावेज, और अधिसूचित बीमारी के कारण हुई मृत्यु के मामले में, विधिमान्य टीकाकरण प्रमाण पत्र।
- वाहन दुर्घटना के कारण मृत्यु होने के मामले में, पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट या पंचनामा रिपोर्ट।

जोखिम कारकों, नियमों, अपवर्जन और शर्तों के बारे में अधिक विवरण के लिए, बिक्री को अंतिम रूप देने से पहले कृपया सेल्स ब्रोशर को सावधानीपूर्वक पढ़ें।

इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस

मुस्कुराते रहो

इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

मुख्य कार्यालयः

इफको टॉवर– II प्लॉट नं. 3, सेक्टर–29, गुरुग्राम (हरियाणा)–122001

फोनः 91–124–2850100, फैक्सः 91–124–2577923/24

हमसे www.iffcotokio.co.in पर संपर्क करें

कस्टमर केयर सेंटरः 1800–103–5499 (टोल फ्री) या 0124–4285499

IRDAI Regd. No.: 106 | CIN:U74899DL2000PLC107621 | UAN: ITGI/18-19/InsAdvt/Rural Hindi-22

बीमा आग्रह की विषयवस्तु है। नियम और शर्तें लागू।